

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/स्था./29/2010/792

भोपाल,दिनांक 3/6/10

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।

स. क.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री रणवीर सिंह तोमर (हिन्दी)	अप्र प्राप्त	शास.उत्कृ.उ.मा.वि. ईसागढ जिला अशोकनगर	23460777701	शास.उत्कृ.उ.मा.वि. दिमनी जिला मुरैना	23020277704
2.	श्रीमती उषा तिवारी (अंग्रेजी)	अप्राप्त	शास.नवीन उ.मा.वि. चादबढ जिला भोपाल	23320877729	शास.कमला नेहरू क.उ.मा.वि.टी.टी. नगर जिला भोपाल	23320877716



आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल,दिनांक 3/6/10

पुष्ठा.क्रमांक/स्था.2/सी/स्था./29/2010/793
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला अशोकनगर/मुरैना/भोपाल/।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला अशोकनगर/मुरैना/भोपाल/
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सभागीय कार्यालय भोपाल/ग्वालियर।
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला अशोक नगर/मुरैना/भोपाल।
7. जिला शिक्षा अधिकारी अशोक नगर/मुरैना/भोपाल। म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।।
8. संबंधित प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


आयुक्त,

लोक शिक्षण म.प्र.